मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के 98वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 20.02.2019 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 97वीं बोर्ड बैठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रविनाथ रमन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानुसार सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :–

उपस्थितिः–

1.	श्री रविनाथ रमन, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2.	डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।	उपाध्यक्ष / जिलाधिकारी
3.	श्री पी0सी0खरे अपरसचिव, वित्त	सदस्य
4.	श्री टी0लेप्चा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
5.	श्री आर0के0दयाल, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून	सदस्य
6.	श्री एस0के0जैन,अधीक्षण अभियंता, जलनिगम	सदस्य
7.	श्री गिरीश गुणवन्त, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण दे0दून	सदस्य
8.	श्री एस0एल0सेमवाल, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण दे0दून	सदस्य
9.	श्री एच0एस0बोनाल, मुख्य लेखाधिकारी	सदस्य

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण /आयुक्त गढ़वाल मण्डल का स्वागत किया गया तथा सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात् सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा 97वी बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या को पढ़ा गया जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं 98वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दु को पढ़ने हेतु अनुमति प्रदान की गयीः—

विषय कमांक 1:— वित्तीय वर्ष 2019—20 के बजट में 03 मदों में क्रमशः अध्यक्ष /आयुक्त, पुरानी योजनाओं पर व्यय व आई0एस0बी0टी0 (एम0आई0जी0) में माह जनवरी 2020 तक 90 प्रतिशत से अधिक व्यय होने के कारणआगामीदोमाह के व्यय हेतु निम्नतालिका अनुसार भुमि अधिग्रहण मद से उक्त मदों में बजट पुर्ननियोजन का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैः—

मसूरी देहरादून विकास प्राधिरकण,
बजट पुर्नवियोग (पूंजीगत व्यय)

राजस्व व्यय		धनराशि (लाख में)					धनराशि (लाख में)		
बजट मद जिससे स्थानान्तरण किया जा रहा है।						बजट मद जिसमें स्थानान्तरण किया जा रहा है।			
कम संख्या	नाम	मूल आवंटन	31.03. 2020तक अनुमानित व्यय	सरप्लस राशि	कम संख्या	नाम	मूल आवंटन	प्रस्तावित राशि	कुल योग
1	भुमि अधिग्रहण	34,000.00	33,896.78	103.22	1	अध्यक्ष/आयुक्त कैम्प कार्यालय	10.00	3.00	13.00
					2	पुरानी योजनाओंपर व्यय	15.00	0.22	15.22
					3	आई0एस0बी0टी0 (एम0आई0जी0)	600.00	100.00	700.00
	कुल योग	34,000.00	33,896.78	103.22		कुल योग	625.00	103.22	728.22

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक2:— वित्तीय वर्ष 2019—20 के बजटमें 06 मदों में क्रमशः ग्रेच्यूटी, अवकाश नकदीकरण, विविध व्यय, कार्यालय अनुरक्षण, आउटसोर्सवेजेस व सी0पी0एफ0 अशंदान में माह जनवरी 2020 तक 90 प्रतिशत से अधिक व्यय होने के कारण आगामी दो माह के व्यय हेतु निम्नतालिका अनुसार मास्टर प्लान मद से उक्त मदों में बजट पुर्नवियोग का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिरकण,
बजट पुर्नवियोग (राजस्व व्यय)

राजस्वव्यय		धनराशि (लाख में)						धनराशि (लाख में)		
बजट मद जिस से स्थानान्तरण किया जा रहा है।						बजट मद जिसमें स्थानान्तरण किया जा रहा है।				
कम संख्या	नाम	मूल आवंटन	31.03.2020 तक अनुमानित व्यय	सरपलस राशि	कम संख्या	नाम	मूल आवंटन	प्रस्तावितराशि	कुल योग	
1	मास्टर प्लान	200.00	141.00	59.00	1	ग्रेच्यूटी	48.00	16.00	64.00	
					2	अवकाश नगदीकरण	35.00	10.00	45.00	
					3	विविध व्यय	35.00	5.00	40.00	
					4	कार्यलय अनुरक्षण	50.00	15.00	65.00	
					5	आऊटसोसवेजेस व्यय	150.00	10.00	160.00	
					6	सी0पी0एफ0 अशंदान	80.00	3.00	83.00	
	कुल योग	200.00	141.00	59.00		कुल योग	398.00	59.00	457.00	

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांकः—3 महायोजना में दर्शित भू—उपयोग स्थित ग्राम तरला नांगल परगना परवादून तहसील व जिला देहरादून के भू—उपयोग मनोरंजन से आर—3(आवासीय) में किये जाने के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया गया तथा समिति द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार चूंकि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का नया मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है अतः नये मास्टर प्लान में ही इस प्रकरण पर कार्यवाही की जाये।

विषय कमांकः—4 महायोजना—2031 के अन्तर्गत शिमला बाईपास, सोडा सरोली एवं छिद्दरवाला की प्रखण्डीय योजना के अन्तर्गत एवंप्रखण्डीय योजना के पश्चात निर्धारित कंट्रोल कोरीडोर के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त क्षेत्रो का मास्टर प्लान मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में प्रचलित मास्टर प्लान के अनुरूप ही तैयार किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ कर ली जाये तथा शासन से अनुमति प्राप्त कर ली जाये।

विषय कमांकः—5 देहरादून शहर के अन्तर्गत गोविन्दपुरी दून यूनिवर्सिटी रोड में सडक निर्माण कार्य में हो रही बढोत्तरी की स्वीकृति के संबंध में।

उक्त प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया एवं इस तरह के प्रकरणों में किस कारण से कार्य में बढ़ोत्तरी हुई है, का कारण स्पष्ट करते हुए 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

विषय कमांकः—6 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को आई0एस0बी0टी0 योजना में निर्माणाधीन 03 फ्लैट एच0आई0जी0, एक्सटेंशन योजनान्तर्गत 06 फ्लैट एम0आई0जी0 तथा टांसपोर्ट नगर—2 में 04 फ्लैट एल0आई0जी0 श्रेणी के एक मुश्त भुगतान पद्वति के अन्तर्गत पूर्व सूचित दरों पर विकय किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांकः—7 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ट्रांसपोर्टनगर फेस—2 आवासीय योजना में एल0आई0जी0 फ्लैटों के विकय हेतु छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निम्न बिन्दुओ पर निर्णय लिया गयाः—

1. *समस्त प्रकार की छूट एक मुश्त धनराशि जमा करने पर ही दी जायेगी।*
2. *एक मुश्त भुगतान पद्वति के इत्तर यदि कोई आवेदक किश्तों के आधार पर एल0आई0जी0श्रेणी का भवन कय करना चाहता है तो प्राधिकरण की 95वी बोर्ड बैठक दिनाक 15.01.2019 के विषय कमांक 22 के अनुसार नये आवेदको से पूर्व परियोजनाओं के अनुसार 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि व एक माह के अन्दर 30*

प्रतिशत आरक्षण राशि लेते हुए भवन का आवंटन कर शेष 60 प्रतिशत राशि को 11.00 प्रतिशत ब्याज सहित आगामी 15 वर्षों की आसान मासिक किश्तों में किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

विषय कमांक :–8 ट्रांसपोर्ट नगर फेस प्रथम में रिक्त दो वर्कशाप का उपयोग गोदाम में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांकः–9 मसूरी स्थित लालबहादूर शास्त्री प्रशासन अकादमी मे स्थित प्रस्तावित (ऑडोटोरियम) व मोनेस्ट्री एस्टेट मे निर्माणाधीन ट्रेनी ऑफिसर्स हास्टल निर्माण हेत भवन ऊचाई में शिथिलता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण पर सम्बन्धित विभाग द्वारा भूकम्प रोधी, स्ट्रक्चरल सेफटी व अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

विषय कमांकः–10 मसूरी स्थित सवाय होटल में पुर्ननिर्मित भवन के टैरेस पर निजी हैलीपैड के निर्माण हेतु प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर चर्चा के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण पर आवेदक द्वारा भूकम्प रोधी, स्ट्रक्चरल सेफटी, एनवायरमेंट क्लीरेंस व अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

विषय कमांकः–11 मसूरी स्थित टिहरी बायपास रोड, विस्टीरिया स्टेट पर एल.पी.जी. गैसगोदाम के निर्माण को वाद संख्या 29/सी./एम./2014–15 के अन्तर्गत शमन विषयक।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांकः–12 शमन मानचित्र संख्या–ओ.सी–0424/19–20 श्रीमती सन्ध्या गुप्ता पत्नी श्री अरूण कुमार गुप्ता द्वारा खसरा नं0 26ख मि0,27क मि0 मौजा जमनीवाला परवादून देहरादून पर कुल क्षेत्रफल 4,272.0 वर्गमीटर पर ईको रिजोर्टस के शमन प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सर्वप्रथम अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुंत किया जाये।

विषय कमांकः–13 मानचित्र संख्या एस सी–0006 / 19–20 मैं0 जे.के.जी रीयलटैक प्रा0लि0 प्रोपराइटर श्री जे0के गोयल खसरा नम्बर 216क,216ख, 216ग, 217 व 218 मौजा कारगी ग्रान्ट (हरिद्वार बाई पास रोड) परगना केन्द्रीय दून पर कॉमर्शियल कम होटल बिल्डिंग प्लान निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांकः–14 मानचित्र पत्रावली संख्या पी / सी / 1639 / 19–20 श्री अफजल मिक्की 12 / 40 कैनाल रोड किशनपुर देहरादून के द्वारा खसरा नम्बर 685, 686, 687, 688, 684 / 1,689 / 1, 689 /2 में आवासीय भूउपयोग के अन्तर्गत वैडिंग प्वाईन्ट की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांकः–15 मानचित्र पत्रावली संख्या ओ0 सी0–0588 / 19–20 श्री अनुरूद्व चन्द्रा, सम्पत्ति संख्या 98 राजीव गॉधी मार्ग जिसका पुराना नम्बर 34 ई0 सी0 रोड देहरादून के द्वारा आवासीय भूउपयोग के अन्तर्गत वैडिंग प्वाईन्ट की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांकः–16 अमृत कौर रोड पर स्थित नर्सिग होम के शमन मानचित्र संख्या **MAP/P/C-1628/19-20** के पहुँच मार्ग में शिथिलता प्रदान करते हुए मानचित्रों को शमनकरने के सम्बन्ध में।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त उक्त प्रकरण पर शिथिलता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित करने हेतु निर्णय लिया गया।

विषय कमांकः–17 मानचित्र पत्रावलीसंख्या–सी–2388 / 19–20 श्री विजय कोठियाल पुत्र श्री राममूर्ति कोठियाल खसरा नम्बर 205 मौजा ब्रहमावाला (सहारनपुर–हरिद्वारबाईपासमार्ग पर) देहरादून पर आफिस प्लान निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांकः–18 मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–2147 / 19–20 श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नि श्री केशव शर्मा खसरा नम्बर 208 मिन. मौजा कारगी ग्रान्ट (कारगी चौक से बंजारा वाला जाने वाले मार्ग पर) देहरादून पर आफिस प्लान निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांकः—19 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—2407 / 19—20 श्री अमरजीत सिंह व श्री परविन्दर प्रीत सिंह खसरा नम्बर 279 ख, 283, 284, 269, 288, 268 ख, 275 क, 26क, 281,270, 272,273,274, मौजा मालसी (मसूरी बाई पास रोड मैक्स अस्पताल के सामने) देहरादून पर होटल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श करने के उपरान्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की गयी।

विषय कमांकः—20 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—2385 / 19—20 श्रीमती मीनू जैन पत्नि श्री अजय जैन सम्पत्ति सं0 192 (222 / 113) सहारनपुररोड (मेन सहारनपुररोड पर) देहरादून पर आफिस प्लान निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांकः—21 श्री बुद्धि सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह द्वारा खसरा संख्या 802, 803मि0, मौजा कालूवाला तहसील डोईवाला, परगना परवादून जिला देहरादून में कुटीर उद्योग स्थापना के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि वर्तमान प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से कम है, उक्त प्रस्ताव सिंगल विण्डो के अधीन भी विचाराधीन है अतएव प्रस्ताव मार्गदर्शन हेतु शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

विषय कमांकः—22 देहरादून रेलवे स्टेशन रि—डेवेलपमेंट परियोजना हेतु **RFQ** प्रकाशन के सम्बन्ध में।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त रेलवे स्टेशन रि—डेवलपमेंट परियोजना के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

विषय कमांकः—23 भवनों के वाहय आवरण (**FACADE**) नियन्त्रण नीति 2019 को प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया। जो भी डिजाइन प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में प्राधिकरण द्वारा चयनित किये जायेंगे उन्हें कमशः प्रथम रू0 1.00 लाख, द्वितीय रू0 75,000.00 हजार एवं तृतीय रू0 50,000.00 हजार पारितोषिक दिया जायेगा। इनका चयन प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से एक नीति अर्न्तगत कर लिया जाये।

विषय कमांकः—24 सहस्त्रधारा आवासीय योजना में डूपलैक्स संख्या डी—36 को पहले आओ पहले पाओ पर आवंटन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

पर आवंटन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांकः—25 श्रीमती शालिनी अग्रवाल द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में पहुँच मार्ग की चौडाई में 6.0 मीटर की छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त पहुँच मार्ग की चौड़ाई में 6.0 मीटर की छूट दिये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

विषय कमांकः—26 प्राधिकरण की आमवाला तरला स्थित"आल्यम्" आवासीय योजना के **HIG, MIG & Studio Dwelling Units (DUs)** के **Bulk Selling** किये जानेके सम्बन्ध में।

विस्तृत विचार विमर्श प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में आख्या दिये जाने हेतु एक कमेटी का गठन किया जाये जिसमें निम्नानुसार सदस्यो को नामित किया गयाः—

1.श्री पी0सी0खरे, अपर सचिव, वित्त
2.अपर जिलाधिकारी
3.सचिव, एम0डी0डी0ए0
4.अधिशासी अभियंता, पी0डब्ल्यू0डी0
5.अधिशासी अभियंता,एम0डी0डी0ए0

उक्त कमेटी एक माह में अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी तत्पश्चात् इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

विषय कमांकः—27 सी0जी0एम0 गेल गैस लिमिटेड को सी0एन0जी0 फिलिंग सेन्टर हेतु भूमि विकय किये जाने के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया चूंकि गेल गैस लिमिटेड एक सरकारी उपकम है, अतः भूमि विकय किये जाने में कोई आपत्ति नही है। अतः प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान की गयी।

विषय कमांकः—28 मसूरी डाईवर्जन रोड पर भू—उपविभाजन शुल्क को नगर निगम के पुराने 60 वार्डो के समान लिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निरस्त किया गया।

विषय कमांकः—29 सर्व श्री मुकेश कुमार, राकेश कुमार एवं अतुल पुत्रगण श्री गरीबचन्द द्वारा खसरा नम्बर—1788 (पार्ट) एवं 2355 / 1785 ग्राम जीवनगढ़, विकासनगर, देहरादून में व्यावसायिक भवन मानचित्र संख्या सी—2148 / 19—20 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांकः—30 जय भगवान एजुकेशन सोसाइटी द्वारा श्री लक्ष्मणदास सिंघल द्वारा आवेदित मानचित्र पत्रावली संख्या सी—2325/19—20 खसरा नम्बर—2234, 2253, 2255, 2254, 2255, 2256, 2257, 2266,2267, 2268क, 2268ख मौजा शंकरपुर, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून मे टेक्निकल इन्स्टीट्यूट के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि अग्रभाग में आवेदक द्वारा वर्तमान प्रचलित उपविधि के अनुसार मार्गाधिकार उपलब्ध करवाने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जाये। अतः प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक मे प्रस्तुत किया जाये।

अनुपूरक विषय क्रमांकः—1 ग्राम खालागांव खसरा नं0 36क, ख, 37क तथा 38ख कुलरकबा 1790.0 वर्गमीटर को देहरादून महायोजना —2025 (संशोधित) में त्रुटिवश वन में प्रदर्शित भू—उपयोग को व्यवसायिक में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि निम्न बिन्दुओ के सम्बन्ध में स्थलीय आख्या प्राप्त की जायेः—

1. *स्थल पर वृक्षो की स्थिति तथा वृक्ष स्थल पर है तो उनकी संख्या, प्रकार तथा गोलाई*
2. *स्थल पर कोई आबादी विद्यमान है।*

उक्त के सम्बन्ध में स्थलीय रिपोर्ट प्राप्त कर प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें।

अनुपूरक विषय क्रमांकः—2 ग्राम भण्डारगॉव के खसरा नम्बर 90 क, 91क,92क,ख,93,237,238,407 कुल रकबा 2700 वर्गमीटर का भू—उपयोग कृषि से आवासीय में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव को विचाराधीन करते हुए सर्वप्रथम इस तरह के प्रकरणों पर जहॉ पर कुल क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर से कम है को घटाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

अनुपूरक विषय क्रमांकः—3 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2011 (संशोधन,2015) में निर्धारित मानकों मे शिथिलता (छूट) प्रदान करने के सम्बन्ध में।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण पार्श्व सैट बैक में शिथिलता हेतु शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपूरक विषय क्रमांकः—4 प्राधिकरण मे विभिन्न योजनाओं हेतु गठित पी0एम0यू0 सैल के कार्मिकों को ग्रेडिंग के आधार पर मानदेय में वृद्वि किये जाने के सम्बन्ध में।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि पी0एम0यू0 सैल नियुक्त कर्मचारियों को अनुबन्ध के आधार पर ही वेतन दिया जायेगा एवं जो प्राधिकरण द्वारा कान्ट्रेक्ट बेसिस पर नियुक्त कर्मचारी है, उनको प्रस्ताव के अनुसार मानदेय में वृद्वि दिये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

अनुपूरक विषय कमांकः–6	मानचित्र पत्रावली संख्या –आर –2422/ 19–20 स्टॉफ क्वार्टस प्लान फॉर ओ0एन0 जी0सी0 द्वारा श्री अरूण कुमार चौहान खसरा नम्बर–1ग, 29ख, 6ख मौजा चायबाग कौलागढ (मुख्य कौलागढ रोड पर) परगना पछवादून देहरादून पर स्टॉफ क्वार्टस निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।
	प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।
अनुपूरक विषय कमांकः–6	मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–2274/19–20 श्री बलदेव राज विरमानी पुत्र स्व0 श्री एम0 एल0 विरमारी एवं श्रीमती नीलम विरमानी पत्नि श्री बलदेव राज विरमानी खसरानम्बर 178/2 मौजा बगरालगॉव (मसूरी डायवर्जनरोड पर) परगना सैन्ट्रल दून देहरादून पर होटल/व्यवसायिक निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।
	प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।
अनुपूरक विषय कमांकः–7	मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–2267/19–20 श्रीमती निशा सेठी पत्नि श्री नरेश सेठी पुराना खसरा नम्बर 65/2 मि. नया खसरा 170क (जोगीवाला चौक से बद्रीपुर रोड पर निकट सूर्याफार्म) मौजा बद्रीपुर परगना पछवादूनदेहरादून पर वैडिंग प्वाइंट (वैंकेट हाल) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।
	प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रश्नगत स्थल पर सड़क की चौड़ाई 12 मीटर है, जो निर्धारित मानको से कम है अतः प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है।
अनुपूरक विषय कमांकः–8	प्राधिकरण मे तैनात आवद्व (इम्पैनल्ड) अधिवक्ताओं को दिये जाने वाले मानदेय निर्धारण के सम्बन्ध में।
	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त अधिवक्तओं को दिये जाने वाले मानदेय निर्धारण हेतु 10 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी।
अनुपूरक विषय कमांकः–9	श्री विद्यादत्त नौटियाल, लेखपाल (सेवानिवृत्त) को पूर्णतया अस्थायी रूप से नियत वेतन पर प्राधिकरण में रखे जाने के सम्बन्ध में।
	प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपूरक विषय कमांकः—10

मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0080 / 19—20 श्री अनुप कुमार आहलूवालिया, श्री मधुकर, श्री विवेक कुमार पुत्रगण श्री विजेन्द्र सिंह द्वारा खसरा नम्बर 85 मि 88 मि व 90ख मौजा बद्रीपुर (जोगीवाला चौक से बद्रीपुर रोड पर) परगना परवादून देहरादून पर वैडिंग प्वाइंट(वैंकेट हाल) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि स्थल पर सड़क की चौड़ाई मात्र 10.24 मीटर है जो निर्धारित मानको से कम है। अतः प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

अनुपूरक विषय कमांकः—11

मौजा माण्डूवाला परगना पछवादून तहसील विकासनगर जिला देहरादून के खसरा नम्बर — 272, 273, 275 एवं 367 कुल रकबा 2002.00 वर्ग मी0 भूमि का का कृषि से आर—3 भू—उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम शासन को पूर्व मे निर्धारित क्षेत्रफल 4000.00 वर्गमीटर में शिथलीकरण करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

अनुपूरक विषय कमांकः—12

मौजा माण्डूवाला परगना पछवादून तहसील विकासनगर जिला देहरादून के खसरा नम्बर—279, 272, 273, 275 एवं 367 पांच विलग भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 1516.00 वर्ग मी0 का भूउपयोग कृषि से आर—3 भू—उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम शासन को पूर्व मे निर्धारित क्षेत्रफल 4000.00 वर्गमीटर में शिथलीकरण करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

अनुपूरक विषय कमांकः—13

ऋषिकेश महायोजना—2031 (प्रारूप) प्रदर्शिनी में प्राप्त आपत्ति / सुझावों के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त संस्तुति प्रदान करते हुए प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

आयोजित बोर्ड बैठक में गढ़वाल आयुक्त श्री रविनाथ रमन द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए श्री संजीवन चन्द्र सूठा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को चेयरमैन ट्राफी एवं 21 हजार नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

अध्यक्ष 25/02/2020
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।